

# बिहार रेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



Bihar State Power Transmission Company Limited

(नियंत्रित कार्यालय-विद्युत भवन, बैली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

Website: www.bsptcl.bih.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

का० आ० सं०- ५४५

दिनांक- १२/०९/२०२४।

T/IV/Misc/Allegation-4002/2024

श्री संतोष कुमार (E19103), पत्राचार लिपिक, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर को आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट- कंपनी के कार्य में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित प्रमाणित रथायी आदेश की कंडिका 29 A की उप कंडिका (e) (j) एवं 29 B की उप कंडिका (a) (i) (j) (s) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव रो निलंबित करने एवं प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, श्री कुमार को उक्त प्रतिवेदित प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए गए आरोपों के लिए कंपनी मुख्यालय पटना के कार्यालय आदेश संख्या-447 दिनांक-23.08.2024 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि का मुख्यालय संचरण अंचल, डेहरी-ऑन-सोन निर्धारित किया गया।

श्री कुमार को आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट- कंपनी के कार्य में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अमर्यादित व्यवहार एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित प्रमाणित रथायी आदेश की कंडिका 29 A की उप कंडिका (e) (j) एवं 29 B की उप कंडिका (a) (i) (j) (s) के तहत उनके विरुद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही में श्री विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, साउथ विहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना (गोवाईल नं०-7061243819; Email ID- vinod181959@gmail.com) को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, संचरण कंपनी मुख्यालय, पटना को उपर्युक्त पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

श्री संतोष कुमार (E19103), पत्राचार लिपिक, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश के साथ संलग्न आरोप-पत्र में वर्णित आरोप के संबंध में अपना लिखित बयान एक पखवारा के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सूचित करें कि उक्त विभागीय कार्यवाही में वे अपना पक्ष रख्यां या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यदि वे अपने बचाव में कोई साक्ष्य या गवाह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसकी सूचना भी जाँच पदाधिकारी को दें।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति इसके अनुलग्नक की हस्ताक्षरित प्रति के साथ श्री संतोष कुमार (E19103), पत्राचार लिपिक, संचरण अंचल, मुजफ्फरपुर को अग्रसारित किया जाय।

आदेश से,

ह०/-

(दीपक कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक- २३५।

पटना, दिनांक- १२/०९/२०२४

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/उपमहाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/अवर सचिव/डी.बी.ए./प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार रेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. डी.बी.ए से अनुरोध है कि इस आदेश की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

अवर सचिव  
29.9.2021

(x)

(b)  
# १३१